संख्या– / I(02)–2020–06(31)/2020

प्रेषक,

जे0एल0 शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–02 देहरादून, दिनांक 18 अगस्त, 2020

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व लेखा में अधिष्ठान व्यय की वचनबद्ध मद में धनावंटन विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 708/प्र0अ0/वि0प्र0/अवमाननावाद /357/2020, दिनांक 20.06.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या– 6883/2019 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम रमेश सिंह में राज्य की ओर से की गयी पैरवी हेतु श्री तुषार मेहता,** Solicitor General की फीस के भुगतान हेतु ₹ 4,40,000.00 (रू0 चार लाख चालिस हजार मात्र) की धनराशि की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हुए ₹ 0.60 लाख (रू0 साठ हजार मात्र) आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) Solicitor General की फीस भुगतान हेतु अवशेष धनराशि बी0एम0–8 के अनुसार विभाग स्तर पर स्वीकृत/अवशेष धनराशि ₹ 3.80 लाख का उपयोग किया जायेगा।

(ii) धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय के आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

(iii) उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मेनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(iv) स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

क्रमशः.....2

(v) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।

(vi) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(vii) धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किश्तों में किया जाय।

(viii) वित्त विभाग के शासनादेश सं0–370/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 29 मई, 2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व लेखा के अन्तर्गत अनुदान संख्या–20 के लेखाशीर्षक 2700–मुख्य सिंचाई–80–सामान्य–001–निदेशन तथा प्रशासन–02–निदेशन–00–27 – व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय सं0–254/XXVII(2)/2020, दिनांक 28 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से की जा रही है।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 767 / ।।(02)–2020–06(31)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉउ मण्डल, नेनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।